

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 30.03.2025

प्रेस नोट दि0-30.03.2025

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

साइकिल चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त नवाबगंज पुलिस की गिरफ्त में, चोरी की 05 साइकिल व पार्टस बरामद ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा॰0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के कालाकाकर अंडरपास के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशांदाही पर चोरी की 05 साइकिल व पार्टस बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दि0-20.03.2025 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कम्प्यूटर सेंटर हिनांहू के बाहर से वादिनी की साइकिल चोरी होने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 47/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा॰0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल, का0 दुर्वीन यादव, का0 नीरज पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-38/2025 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. मयूर तिवारी पुत्र राजेन्द्र तिवारी निवासी वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़, 02. इमरान पुत्र गुलफाम निवासी मुरस्सापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के कालाकाकर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदाही पर चोरी की 05 साइकिल व पार्टस बरामद किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2), 317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि मैं और मेरा साथी जिसकी कबाडी की दुकान झम्मानगर मे है। आपस में मिलकर आसपास के कस्बो से सायकिल चोरी करते है। दिनांक 20.03.2025 को मैंने माइक्रोसिस कम्प्यूटर इंस्ट्यूट के बाहर से एक सायकिल चोरी किया था। जो इमरान की दुकान पर रखी है जो मैं बरामद करवा सकता हूं। और वहां पर हमने और भी चोरी की सायकिलें खोल कर रखी है। जो हम दोनो ने मिलकर चोरी किये है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर चोरी की 05 साइकिल व पार्ट्स बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मयूर तिवारी पुत्र राजेन्द्र तिवारी निवासी वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
02. इमरान पुत्र गुलफाम निवासी मुरस्सापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 05 साइकिल व पार्ट्स बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० आदित्य पाण्डेय मय हमराह उ०नि० शिशिर पटेल, का० दुर्वीन यादव, का० नीरज पटेल थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि०-30.03.2025

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के रेवली तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर दि0-18.03.2025 को अन्तर्गत धारा-137(2), 87 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी नवाबगंज श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का0 प्रशान्त राठी द्वारा दिनांक 30.03.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबगंज में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 351(2), 64(2)M, 65(1) बीएनएस व 5(L)/ 6(1) पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा पुत्र हरकेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम कंदई थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रेवली तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राहुल विश्वकर्मा पुत्र हरकेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम कंदई थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का0 प्रशान्त राठी थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-30.03.2025

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ0नि0 राजनारायण सिंह मय हमराह का0 अखिलेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान अ0सं0 120/21 धारा 376D/377/323 IPC व 5G /5M/6 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त दिनेश पुत्र रामपाल निवासी अली का ताल ब्रम्हौली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को घर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिनेश पुत्र रामपाल निवासी अली का ताल ब्रम्हौली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजनारायण सिंह मय हमराह का0 अखिलेश कुमार थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-30.03.2025

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के जलपा नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विजय कुमार मय हमराह का0 नरेन्द्र गौतम, का0 गौतम मौर्या द्वारा दिनांक 30.03.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र हौसिला प्रसाद सरोज नि. ग्राम गुपसाड़ थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के जलपा नहर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजीत कुमार पुत्र हौसिला प्रसाद सरोज नि. ग्राम गुपसाड़ थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० विजय कुमार मय हमराह का० नरेन्द्र गौतम, का० गौतम मौर्या थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक- 30.03.2025

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

एक छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किये जाने के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना मान्धाता पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कानूपुर तिराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पितईपुर निवासी वादिनी के पुत्री परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपने विद्यालय में गई थी, किन्तु विद्यालय के प्रबन्धक/स्टॉप द्वारा मेरी पुत्री को अपमानित किया गया । जिससे आहत होकर वादिनी की पुत्री ने अपने ही घर में फांसी लगा ली । वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर दि०-29.03.2025 को थाना मान्धाता में मु०अ०सं० 49 / 25 धारा 107 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्त/ अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में निरीक्षक सुधीर कुमार पाण्डेय मय हमराहीयान हे०का० वीरेन्द्र यादव व का० अंकित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना मान्धाता के मु०अ०सं० 49/25 धारा 107 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त बनवारी लाल यादव पुत्र राम बहादुर यादव निवासी ग्राम तरौल थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तरौल से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बनवारी लाल यादव पुत्र राम बहादुर यादव निवासी ग्राम तरौल थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

निरीक्षक सुधीर कुमार पाण्डेय मय हमराहीयान हे0का0 वीरेन्द्र यादव व का0 अंकित कुमार थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक- 30.03.2025

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा गोवध अधि0 व पशु क्रूरता निवारण अधि0 से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत महाबीर ढाबा के पीछे से किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी व संदिग्धों की पहचान हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 निर्मल कुमार मय हमराहिगण का0 सौरभ कुमार व का0 गजेंद्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा के मु0अ0स0-78/2025 धारा 3/ 5(क)/ 8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 से संबंधित 01 अभियुक्त इसरार उर्फ मन्नान पुत्र मो0 फारुक निवासी आजाद नगर करारी थाना करारी जनपद कौशाम्बी को थाना क्षेत्रान्तर्गत महाबीर ढाबा के पीछे से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- इसरार उर्फ मन्नान पुत्र मो0 फारुक निवासी आजाद नगर करारी थाना करारी जनपद कौशाम्बी ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 निर्मल कुमार मय हमराहिगण का0 सौरभ कुमार व का0 गजेंद्र सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 30.03.2025

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दहेज हत्या के प्रकरण से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त (पति) गिरफ्तार

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा गाजी बाग तिराहे से 100 मीटर पहले नहर पुलिया के पास अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोसेपुर में वादी की पुत्री को आरोपियों (ससुराल वालोंं) द्वारा मारने के संबंध में मृतका के मायके वालों द्वारा दहेज उत्पीड़न व हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया था। मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0स0 59 / 2025 धारा 85/80 बीएनएस व धारा 3/ 4 डीपी एक्ट बनाम 05 नामजद ससुरालीजन के विरुद्ध पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 59 / 2025 धारा 85/80 बीएनएस व धारा 3/ 4 डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त हरिनाथ पुत्र सुमन्त प्रसाद गौड़ निवासी ग्राम गोसेपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 30.03.2025 को थानाक्षेत्र फतनपुर के गाजी बाग तिराहे से 100 मीटर पहले नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिनाथ पुत्र सुमन्त प्रसाद गौड़ निवासी ग्राम गोसेपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-30.03.2025

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के बेडिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का0 मनोज कुमार यादव, हे0का0 राधेश्याम सुमन शर्मा, महिला आरक्षी रेखा द्वारा दिनांक 30.03.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सचिन कोरी पुत्र कैलाश कोरी निवासी खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र बेडिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 137 (2) बीएनएस की वृद्धि की जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सचिन कोरी पुत्र कैलाश कोरी निवासी खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का0 मनोज कुमार यादव, हे0का0 राधेश्याम सुमन शर्मा, महिला आरक्षी रेखा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 30.03.2025

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत निजी नर्सिंग होम में घटित घटना में डाक्टर व सहकर्मी की पायी गई संक्षिप्तता-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस व एसओजी टीम/सर्विलांस टीम की बड़ी कार्यवाही

हत्या, दुष्कर्म व एससी/ एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार- थाना रानीगंज पुलिस द्वारा एसओजी टीम/सर्विलांस टीम, साइबर थाना व फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना का किया गया शीघ्र अनावरण

घटना को छिपाने के लिये गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा साक्ष्यों को मिटाने का किया गया था प्रयास गिरफ्तार अभियुक्तों को इलेक्टॉनिक साक्ष्य व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त शहबाज द्वारा शादी का झांसा देकर मृतका का पूर्व में किया गया था दुष्कर्म

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दुर्गागंज स्थित निजी अस्पताल में दिनांक 27.03.2025 को 01 युवती की मृत्यु हुयी थी । जिसमें दिनांक-28.03.2025 को मृतका की मां की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर अन्तर्गत धारा 70(1), 103(2), 3(5) व 3(2)5 एससी /एसटी एक्ट बनाम 06 नामजद व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा टीमें गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण व गिरफ्तारी हेतु संबंधित को दिये गये थे कड़े निर्देश-

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे । जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री आदित्य सिंह व एसओजी टीम/ सर्विलांस टीम प्रभारी उ०नि० श्री सुनील कुमार यादव की संयुक्त कार्यवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, इलेक्टॉनिक साक्ष्य व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु०अ०सं० 80/25 धारा 70(1), 103(1), 3(5) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/ एसटी एक्ट थाना रानीगंज से 03 अभियुक्तों 1.शहबाज पुत्र मुजीबउर्रहमान निवासी ग्राम कौलापुर नन्दपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 2.सुनील कुमार

यादव उर्फ मोनू पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 3.डाक्टर अमित कुमार पाण्डेय उर्फ धीरज पुत्र मधुशुदन प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम खाई थाना करछना जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया । घटना से संबंधित शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.शहबाज पुत्र मुजीबउर्रहमान निवासी ग्राम कौलापुर नन्दपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 2.सुनील कुमार यादव उर्फ मोनू पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 3.डाक्टर अमित कुमार पाण्डेय उर्फ धीरज पुत्र मधुशुदन प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम खाई थाना करछना जनपद प्रयागराज ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्त शहबाज उपरोक्त नें जुर्म स्वीकार करते हुये बताया है कि मैंने शादी का झासा/प्रलोभन देकर कई संबंध बनाये थे । मृतका द्वारा बार- बार मुझ पर शादी करने हेतु दबाव बनाया जा रहा था । मेरे मना करने पर मृतका ने प्रताड़ित होकर दिनांक-27.03.2025 को मृतका द्वारा अस्पताल में ड्यूटी के दौरान जहर खा लिया गया था । मैंने व मेरे साथियों (अस्पताल कर्मी) के द्वारा उपचार करने का प्रयास किया गया था उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस से बचने के लिये मैंने व मेरे साथियों (अस्पताल कर्मी) द्वारा साक्ष्यों को मौके से छिपाया गया था ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 अमित कुमार सिंह, उ0नि0 राजनारायण यादव, उ0नि0 रोहित कुमार, हे0कां0 अमरनाथ यादव, कां0 पंकज यादव, कां0 दिलीप कुमार, कां0 प्रदीप कुमार, कां0 आयुष यादव, कां0 मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

एसओजी टीम/ सर्विलांस टीम-

उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव, हे0कां0 धन्नजय राय, कां0 जागीर सिंह, कां0 अरविंद दूबे, कां0 श्रीराम सिंह, कां0 आशुतोष पाण्डेय जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-30.03.2025

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के राजेन्द्र नगर, बस स्टॉफ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ०नि० राजेश कुमार यादव मय हमराह कां० संतोष यादव, कां० संजय कुमार द्वारा दिनांक 30.03.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/65 (1) बीएनएस व 3/4 (2)पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त तौफीक पुत्र नसीम अहमद उम्र 22 वर्ष नि०ग्राम आतागंज, उसरी, थाना सलोन, जनपद रायबरेली को थानाक्षेत्र लालगंज के रायपुर तियाई के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

तौफीक पुत्र नसीम अहमद उम्र 22 वर्ष नि०ग्राम आतागंज, उसरी, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० राजेश कुमार यादव मय हमराह कां० संतोष यादव, कां० संजय कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।